तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/2/21	पत्रावली पेश। तहसीलदार हिण्डोली से पत्र कमांक 2282/राजस्व/19 दिनांक 03.09.2019 से प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त है जिसका वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट के वाद अंतिम डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना अवगत कराया। अतः तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी सम्वत 2074 से 77 भूमि खाता संख्या नयी 66 पुरानी 65 ग्राम रामी की झोपडिया पटवार मण्डल गुढा खसरा संख्या 153/1 रकबा 0.12 बीघा बारानी 4, 156/1 रकबा 1.11 बीघा गे.मु. दर्ज कुल किता 2 कुल रकबा 2.03 बीघा नन्दा आ0 हेमा कोम गुर्जर सा0देह0 खातेदार के खाते व हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार कृषि भूमि खाता संख्या नयी 66 पुरानी 65 ग्राम रामी की झोपडिया पटवार मण्डल गुढा खसरा संख्या 153/2 रकबा 0.05 बीघा बारानी 4, 156/2 रकबा 0.14 बीघा गे0मु0बर्डा कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 बीघा प्रभूलाल, शोजीलाल, (शिवराज) दिलीप कुमार पि0 मांग्या, धनकंवर, मीरा पुत्रिया माग्या, लाडबाई पत्नि स्व0 मांग्या (मांग्या उर्फ मांगीलाल) कोम पासवान सा0देह खातेदार के खाते व हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार कृषि भूमि खाता संख्या नयी 66 पुरानी 65 ग्राम रामी की झोपडिया पटवार मण्डल गुढा खसरा संख्या 153 रकबा 0.09 बीघा बारानी 4, खसरा संख्या 156 रकबा 1.04 बीघा गै0मु0बर्डा कुल किता 2 रकबा 1.13 बीघा कैलाश पि0 भूरा कोम पासवान सा0देह0 खातेदार के खाते व हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिकी किया जाता है। प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प पेश करने पर पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	
संशोधन आदेश 14/2/24 उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)		

तारीख हुक्म 14/2

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/24	पत्रावली वादी / वकील वादी की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा० दी० का वास्ते डिक्री / निर्णय मे संशोधन किये जाने का पेश करने पर तलाश कर प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई / वकील प्रार्थी (वादी) ने निर्णय / डिक्री आदेश मे प्रति० स० 2 का नाम शिवराज के स्थान पर शोजीलाल व प्रति० स० 1 ता० 6 की जाति गुर्जर के स्थान पर पासवान अंकित कर दी गई है, जिसे दुरस्त किया जाकर प्रति० स० 1 ता० 6 की जाति गुर्जर के स्थान पर पासवान व प्रति० 2 का नाम शोजीलाल के स्थान पर शिवराज व प्रति० 1 ता० 6 के पिता / पति का नाम निर्णय मे मागयां के स्थान पर मागयां उर्फ मांगीलाल दुरस्त किया जावे। हमने प्रा० पत्र के सम्बन्ध मे पत्रावली का अवलोकन किया / पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रा० पत्र द्वारा चाहा गया संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है / अत: प्रा० पत्र वादी अन्तर्गत धारा 151, 152 जा० दी० स्वीकार किया जाकर निर्णय / डिक्री आदेश दिनांक- 18/2/21 मे प्रति० स० 1 ता० 6 की जाति "गुर्जर" के स्थान पर "पासवान" व प्रति० स० 2 का नाम "शोजीलाल" के स्थान पर "शिवराज" व प्रति० स० 1 ता० 6 के पिता / पति का नाम "मागयां" के स्थान पर "मांगया उर्फ मांगीलाल" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है / लाल पैन P.T.O.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो ... हुक्म की तारी... में जारी हुए
	से संशोधन का अंकन निर्णय / डिक्री आदेश में किया जावें। बाद तकमील पत्रावली मूल निर्णय दिनांक में सुरक्षित रखी जावें।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	